भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 11

जिसका उत्तर, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना

11. डॉ॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः
श्री एन॰ रेड्डप्पाः
श्री दयाकर पसुनूरीः
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत कोई बदलाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तीन साल में अब तक इस योजना के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को लागू करते समय कई अनियमितताएं हुईं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए सुधारात्मक उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 (एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008) की घोषणा केन्द्रीय बजट 2008-09 में की गयी थी और एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 28.5.2008 को जारी किए गए थे। एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के ऋण माफी हिस्से को इसकी नियत तारीख अर्थात दिनांक 30.6.2008 को समाप्त कर दिया गया था, जबकि इस योजना के ऋण राहत हिस्से को दिनांक 30.06.2010 तक बढ़ा दिया था। इस योजना से 3.73 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 52,259.86 करोड़ रुपये शामिल हैं। एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 को बंद करने के पश्चात् सरकार के द्वारा दूसरी किसी भी माफी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008) की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी, जिसमें लाभार्थी स्तर पर शामिल करने और हटाने की कई त्रुटियों की रिपोर्ट की है।

दिनांक 7.12.2012 को सीएजी के साथ एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान हुई प्रतिपुष्टि के आधार पर सरकार ने दिनांक 11.01.2013 को सरकार ने सभी उधारदात्री संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और सभी दावों की पुन: जांच करने का निदेश दिया है। उधारदात्री संस्थाओं ने पुनर्सत्यापन कार्य किया और उन मामलों जिनमें अपात्र लाभार्थियों को लाभ जारी करने, अधिक लाभ जारी करने, दावों या योजना की परिधि से इतर दावों के लिए प्रभार/ब्याज शामिल हैं, के मामलों में 6.27.68 करोड़ रुपये तक की वसूली की गई है। उधारदात्री संस्थाओं के द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तदनुसार, उधारदात्री संस्थाओं के द्वारा लेखापरीक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की गई है और रिकार्डों के साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

*****